**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**
**Service Appeal (Anganbari) No.- 40/2020**
***Pinki Kumari .......................................................Appeallant.***
***Versus***
***The State of Bihar & Ors…..............................................................Respondent.***

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **11.04.2023** | **आदेश**<br>प्रस्तुत सेवा अपील (आंगनबाड़ी) वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सेवा अपील वाद सं0–73 / 2018 में दिनांक–07.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।<br>अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0–04 की उपस्थिति है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक–ICDS / 30025 / 80–2019 / 1780, दिनांक–05.08.2020 द्वारा स्पष्ट है कि सभी मार्गदर्शिका निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी माने गये हैं। साथ ही दिनांक–27.05.2019 में लागू वर्त्तमान मार्गदर्शिका में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ''यह मार्गदर्शिका पूर्व विज्ञापित केन्द्रों को छोड़कर निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी''। इस प्रकार संबंधित मामले का निष्पादन चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन के तत्समय लागू मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुसार किया जाना है। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय / प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।<br>**लेखापित एवं शुद्धित।**<br><br>**आयुक्त,**<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।<br><br>**आयुक्त,**<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। | |

Web Copy, Not Official

Web Copy. Not Official.